

Form-1
(For linear project)

Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Balrampur

Letter No. 4/2755/5740/18

Date : 12.01.18

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest land Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that **Total 2.628 Ha. Forest land** proposal to be diverted in favor of **Public Work Department (PWD) Division Ramanujnag,** (Name of Agency) for **Balangi Jhapar to U.P. Border Road** work (purpose) for diversion of forest land in Balrampur-Ramanujanj District all within jurisdiction of Wadrafnagar Village in Wadrafnagar Tehsil.

It is Further Certified that:

- a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.628 Ha. Revenue & Protected Forest land** for diversion a copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division level committees and the District level Committee are enclosed as Annexure 1 to 3.
- b. The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consents to it.
- c. The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Enclode : AS above


Collector
Distt. Balrampur (C.G.)
Balrampur R. g. (C.G.)

प्रमाण पत्र

मेसर्स लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुज को ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण हेतु बलरामपुर में बलरामपुर वनमण्डल के वाइफनगर अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु 2.628 हे० वनभूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की 0.50 हे० राजस्व वन भूमि एवं 2.128 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे० वन भूमि जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम बलंगी (झापर), तहसील वाइफनगर में स्थित है, तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 06.11.2017 (प्रदर्श "अ") एवं दिनांक 06.01.2018 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की आयोजित बैठक तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन (प्रदर्श "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम झापर में श्री चन्द्रमणी सिंह की अध्यक्षता में हुई। ग्राम सभा की बैठक दिनांक 06.11.2017 में रखा गया था एवं इसमें 65 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्र०	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
01	02	03	04
1.	झापर	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्रामसभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 06.11.2017 एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.01.2018 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पीटीओजीओ) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 06.01.2018 एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 06.01.2018 के अनुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

दिनांक:- 12.01.2018

(अवनीश-कुमार शरण)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार (हासिले)
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज
(छत्तीसगढ़)

**अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति वाडफनगर,
जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज (80ग0)**

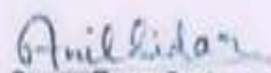
वन अधिकार मान्यता अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही विवरण

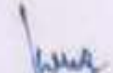
लोक निर्माण विभाग रामग, रामानुजगंज द्वारा वाडफनगर तहसील अन्तर्गत प्रस्तावित ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण में प्रभावित 0.50 हे. राजस्व वन एवं 2.128 हे. सरक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे. वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत बलंगी (झापर), में दिनांक 06/11/2017 को ग्राम सभा आयोजित कर प्रभावित वन भूमि पर अनुरूपित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत अनापीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया ।

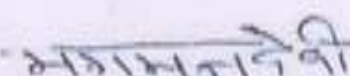
प्रभावित वन भूमि कक्षा एवं खसरा अनुसार विवरण निम्नानुसार :-

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	खसरा / कक्ष क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रभावित रकबा (हे. में)
1	बलरामपुर	रघुनाथनगर	46	छोटे झाड़ का जंगल	0.021
2			47	छोटे झाड़ का जंगल	0.352
3			119	छोटे झाड़ का जंगल	0.060
4			120	छोटे झाड़ का जंगल	0.067
5			P- 598	संरक्षित वन	1.876
6			P- 697	संरक्षित वन	0.252
	योग				2.628

उपरोक्त विषय को दिनांक 06/01/2018 में आयोजित अनुविभाग स्तरीय वन समिति वाडफनगर की बैठक में 2.628 हे. वन भूमि ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुरूपित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी प्रकार का पट्टा आवंटन नहीं किया गया है और न ही आवंटन करना प्रस्तावित है। अतः अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, वाडफनगर द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है ।


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
वाडफनगर


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
वाडफनगर


जनपद सदस्य
वाडफनगर


जनपद सदस्य
वाडफनगर

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति

की बैठक दिनांक - 06/01/2018

(5)

आज दिनांक 06/01/2018 की अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य भाग ले रहे-

1. श्री. अनिल कुमार बिंदार
2. श्री. आर. जी. पटेल
3. श्रीमती लपता कुशरो
4. श्री. देवी सिंह
5. श्रीमति प्रमोद देवी
6. श्री. विनोद तामसवान

आज की बैठक, कार्यपालन धर्मिगता, लोक निर्माण विभाग, जंगल-समानुजजन कक्षा प्रस्तावित ग्राम बजंगी (गुफा) में इतर प्रदेश सीमा तक, राइक निर्माण कार्य में प्रभावित 0.52 हे. जंगल वन एवं 2.12 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 2.64 हे. की भूमि के व्यापकता हेतु गांजी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र पर विचार करने हेतु विशेष रूप से आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चाली गई वन भूमि की एवं संरक्षित भूमि की पढ़कर सुनाया गया तथा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बजंगी (गुफा) का दिनांक 06/01/2017 एवं तहसीलदार व वनपरिक्षेत्राधिकारी के संयुक्त प्रत्येक दिनांक 1/12/2017 की भी समक्ष रखा गया। जिसमें परिशिष्ट एधुनाशनगर अंतर्गत निम्न भूमियों पर विचारोपरंत प्रमुखित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधि 2006 के अंतर्गत किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक पट्टा दिया जाना नहीं पाया गया और न ही आवंटन कला प्रस्तावित है। अतः निम्न भूमियों के संबंध में गैर कानूनी प्रयोजन हेतु FRA-1980 अंतर्गत व्यापकता प्रस्ताव पर अनुभाग स्तरीय वन समिति की कोई आपत्ति नहीं है। सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव अनुमोदित।

क्र.	जनसंख्या	परिचय	सदस्य/संख्या	भूमि का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र (हे. मी.)
1.	बलरामपुर	एधुनाशनगर	46	हॉट भाड़ के जंगल	0.021
2.			47	हॉट भाड़ के जंगल	0.352
3.			119	हॉट भाड़ के जंगल	0.060
4.			120	हॉट भाड़ के जंगल	0.067
					कुल:

क्र.	व्यक्ति	सम्बन्ध	आयता 431 मार्ग	अंगिका का 9 मार्ग	प्रमाणित अंगिका
5	बनारस	बनारस	P-5 18	अंशित न	1.976
6			P-6 17	अंशित न	0.252
कुल - 06				योग -	2.628

हस्ताक्षर

अनिल कुमार
अनिल कुमार (रा.) -

अनिल कुमार (न.) -

अनिल कुमार (सदस्य) -

अनिल कुमार (सदस्य) -

अनिल कुमार (सदस्य) -

अनिल कुमार (सदस्य) -

अनिल कुमार

अनिल कुमार

अनिल कुमार

ग्राम सभा झापर बैठक दिनांक 06/11/2012 का कार्यवाही विवरण

ग्राम : झापर

स्थान : पंचायत भवन

आज दिनांक 06/11/2012 को ग्राम झापर में 25 दलहारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति सिर के 65 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे, बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम झापर, में आवेदक कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण में प्रभावित 0.50 हे. राजस्व वन एवं 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन मांग की गई है, इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी ।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी ।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी । जो वन भूमि ग्राम-बलंगी (झापर) उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण के व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है ।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	ग्राम झापर	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 2.628 हेक्टेयर राजस्व एवं संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग, रामानुजगंज आवेदक को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे ।

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत बलंगी(झापर)

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत बलंगी(झापर)

हस्ताक्षर सचिव
ग्राम पंचायत झापर

पंचनामा

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग
संभाग समानुजगन हारा तहसील बड़फनगर
अंतर्गत प्रस्तावित बड़फनगर के बलंगी (ग्राम)
से उत्तर-पूरुब सीमा तक मार्ग निर्माण कार्य
में जिला/वनगठन बलरामपुर अंतर्गत 0.50
हे० राजस्व वन भूमि एवं 2.128 हे० देवदार
संरक्षित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम
1980 अंतर्गत व्यवहारे प्रस्ताव के लिए
प्रभावित वन भूमि का आज दिनांक 6.11.17
को वन परिशेष अधिकारी राधुनाथनगर एवं
तहसीलदार बड़फनगर तथा ग्राम पंचायत शापर
के सरपंच, सचिव एवं ग्रामवासियों द्वारा
स्थल विरीष्ट कर पंचनामा तैयार किया गया
है, मार्ग में प्रभावित वन भूमि पर वन
अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत
किसी प्रकार का आबंटन नहीं है और
ना ही आबंटन प्रस्तावित है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

(1) W. K. Singh

2. Ram P.

W. K. Singh
तहसीलदार

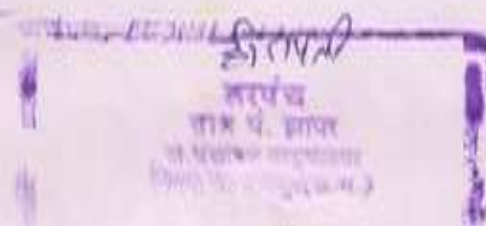
बड़फनगर

जिला बलरामपुर - 2 (छ.प्र.)

Iman

वन परिलेखाधिकारी
राधुनाथनगर

13/11/17



P
सचिव
ग्राम पंचायत शापर
बड़फनगर
जिला बलरामपुर - 2

Ram P.
सरपंच

कार्यालय ग्राम पंचायत : बलंगी (झापर)

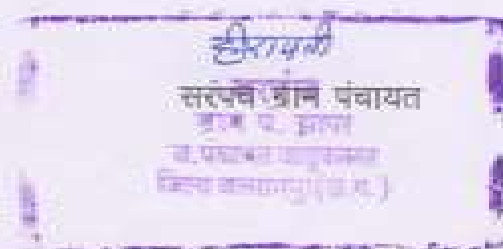
बैठक कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि

तहसील - वाडूफनगर, जिला- बलरामपुर (छ.ग.)

बैठक दिनांक 06/11/2012

क्र	उपस्थित सदस्य	विषय	बैठक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	सही
1)	श्री राज कर्	प्र. क्र. 01	आज दिनांक 06/11/2012 को झापर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बलंगी (झापर) की बैठक आयोजित किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य में प्रभावित 0.50 हे. राजस्व वन भूमि एवं 2.128 हे. सरंक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत आबंटन विषय पर चर्चा किया गया और सर्व सम्मति से लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज को ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य में प्रभावित राजस्व एवं सरंक्षित वन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।	प्रस्ताव सर्व सहमति से लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा प्रस्तावित ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य में प्रभावित राजस्व वन एवं सरंक्षित वन भूमि को नियमानुसार आबंटन हेतु ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है, अतः उक्त संस्था को मार्ग निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।	
2)	श्री अनेश्वर	ग्राम- झापर में लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा ग्राम-बलंगी (झापर) से उत्तरप्रदेश सीमा तक सड़क निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत			
3)	श्री रामसुख				
4)	श्री गजराज				
5)	श्री रामप्रसाद				
6)	श्री चरनप्रकाश				
7)	श्री बरिप्रसाद				
8)	श्री हरिवर				
9)	नरेशी प्रकाश				

अध्यक्ष ग्राम सभा



सचिव ग्राम पंचायत